भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ਪੰਜਾਬ पंजाब PUNJAB

AB 022521

# शपथ-पत्र

पीड़ित नं. 1 मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना (मोब. 81467-61055)

पीड़ित नं. 2 जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता पुत्र हीरालाल पताः मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड़, लुधियाना (मोब. 73554-27270)

पीड़ित नं. 2 ने PayTm खाता 73554-27270 बनाया हुआ था, दिनांक 20.04.2017 को उसके PayTm खाते में बकाया राशि 11861/- रु. बची हुई थी, यह बची हुई रकम उसे किसी को देनी थी, PayTm की अवधि ज्यादा ना होने या तकनीकी कारण से रकम ट्रांसफर नहीं हो पाई थी, मगर रकम ट्रांसफर करना जरूरी थी जिसकी वजह से पीड़ित नं. 2 ने अपने पड़ोस में रहनेवाले लड़के अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की (जो PayTm का ही एजेंट है, इसी लड़के ने उसके मोबाईल में PayTm का App भी Install किया था) को कहा कि, "अगर आपके पास कोई तरीका है तो मेरी रकम ट्रांसफर करवा दो" उसने कहा कि, "ठीक है, मैं कर दूंगा" साथ ही उसने पीड़ित नं. 2 को यह भी कहा कि, "आप अपना पासवर्ड बता दो" पर पीड़ित नं. 2 को पासवर्ड याद ना होने के कारण अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की ने कहा कि, "कोई बात नहीं मैं अपने मोबाईल मे



Scanned by CamScanner

आपका पासवर्ड बना देता हूँ" मगर पासवर्ड बनाने के बाद भी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की रकम ट्रांसफर नहीं कर पाया और बोला कि, "आप अगले महीने एक तारीख को पैसे ट्रांसफर कर लेना" पीड़ित नं. 2 ने कहा कि, "ठीक है" इसके बाद वो चला गया|

जब दिनांक 01.05.2015 को 6.00pm पीड़ित नं. 2 ने अपना PayTm खाता खोला तो उसे पता चला कि, 'उसका सारा पैसा किसी ने निकाल लिया है' तब उसे अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की (Paytm एजेंट) पर शक हुआ तो पीड़ित नं. 2 ने उसे बुला कर पूछा कि, "क्या तुमने मेरे पैसे निकाले हैं?" मगर उसने साफ मना करते हुये कहा कि, "मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं निकाले हैं" तो पीड़ित नं. 2 ने उसे कहा कि, "मेरा Paytm पासवर्ड तुमने बना कर दिया था और तुम Paytm के एजेंट भी हो" मगर उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि, "मैने ऐसा कुछ नहीं किया है" मगर पीड़ित नं. 2 को अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की पर पूरा शक था जिस वजह से उसने उससे 2-3 दिनों तक लगाताछ की पर वो नहीं माना, पीड़ित नं. 2 ने उसे यहाँ तक कहा कि, "अगर आपने रकम निकाल भी ली होगी तो भी कोई बात नहीं पर मुझे साफ-साफ बता दो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा"|

उसके न मानने पर पीड़ित नं. 2 ने दि. 03/05/2017 को ACP साहब के पास Paytm के मेरे खाते से रुपये चोरी होने की शिकायत दर्ज करवा दी जो कि डिवीजन नः 7 में बैठते हैं (जिसका शिकायत नः UID No.1088928 (559-5c) दि. 3/5/2017)| शिकायत के बाद भी पीड़ित नं. 2 ने अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की से पूछताछ जारी रखी पर उसने हर बार मना कर दिया| उसके बाद दि. 13/05/2017 को पीड़ित नं. 2 Paytm के नोयडा कार्यालय (F-28, F ब्लॉक, सेक्टर 8, नोयडा, उ.प्र.) गया जहाँ उसने Paytm अधिकारी से बात की और उन्हें उसे अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने पीड़ित नं. 2 से Paytm खाता नंबर माँगा जो उसने (Paytm खाता नंबर 73554-27270) उन्हें बता दिया जिसके बाद Paytm अधिकारी ने पीड़ित नं. 2 को सारी डिटेल दी और कहा कि,

- "दि. 01.05.2017 को 12:45 am बजे आपके Paytm खाते से किसी ने इस मोब. 98031-41252 नम्बर पर 11861/- रुपये भेजे हैं,
- उसके बाद इस 98031-41252 नम्बर से इस मोब. 99888-50660 पर रुपये भेजे गये,
- फिर इस मोब. 99888-50660 नं. जो 'अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की' का था के बैंक खाता नंबर 19590100014348 (बैंक ऑफ बडोदा) में भेजा गया है"|

यह जानकारी लिखित में लेने के बाद पीड़ित नं. 2 लुधियाना वापिस आ गया और बैंक ऑफ बड़ोदा गया जहाँ अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की का बैंक खाता था पीड़ित नं. 2 ने बैंक वालो को बताया कि, "मेरे साथ धोखा हुआ है" तो बैंक वालो ने उससे कहा कि, "आप पुलिस के पास जायें" उसके बाद वो टिब्बा पुलिस चौकी गया और कार्यवाही करने के लिये कहा पर ASI स्वर्ण सिंह ने सबूत वाला पेपर फेंक दिया और थाने से भगा दिया जिसके बाद पीड़ित नं. 2 ACP साहब के ऑफिस गया और उनको बताया कि, "मेरी शिकायत अभी तक थाने नहीं भेजी गई है" तब उन्होंने खुद के कार्यालय के एक हवलदार द्वारा थाने बस्ती जोधेवाल में फोन

Mukesh Thakur    Lucky @ Pardeep



Scanned by CamScanner

कर के पुछवाया तब थाने अधिकारी ने बताया की, "शिकायत अभी-अभी हमें मिल गई है इसलिये आप शिकायतकर्ता को थाने भेज दीजिये"| उसके बाद पीड़ित नं. 2 दुवारा थाने गया मगर थाने अधिकारियों को फिर भी उसकी शिकायत की कॉपी नहीं मिली उसके बाद पीड़ित नं. 2 ने कमिश्नर साहब को नई शिकायत दी जिसका शिकायत नंबर 1104070 दि. 22/05/2017 है इस शिकायत का भी तब तक कुछ अता-पता नहीं था कि, ये यह शिकायत किस पुलिस थाने के किस पुलिस अधिकारी की फाईलों में धूल खा रही है? आखिर पीड़ित नं. 2 ने सोचा कि, 'हमारी पंजाब पुलिस का तो यही हाल है इसलिये मुझे ही कुछ करना होगा तो वह खुद बैंक आफ बड़ोदा दुवारा गया और बैंक वालों से बहुत विनती की तब कहीं जाकर उन्होंने इस खाते नम्बर 19590100014348 को चैक किया और पीड़ित नं. 2 को बताया की, "इस बैंक खाते में ही आपका पैसा ट्रांसफर होकर आया है और ये बैंक खाता अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के नाम से है जिसका पताः मकान नः 14047, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना है" तब जा कर पीड़ित नं. 2 को पूरा विश्वास हो गया कि, अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की ने ही मेरे पैसे धोखाधड़ी करते हुये ट्रांसफर करके लिये हैं|

इस धोखाधड़ी की वजह से पीड़ित नं. 2 का बहुत नुकसान हुआ और उसे जगह-जगह बे-इज्जत भी होना पड़ा तब जाकर इतनी मेहनत करने के बाद उसे यह जानकारी मिली कि, अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की ने पीड़ित नं. 2 के पैसे अपने खाते में चोरी से जमा कर लिये है जिससे पीड़ित नं. 2 आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की पर काफी नाराज हुया जिसके बाद आरोपी का बड़ा भाई सुखदेव सिंह (फूड इंस्पैक्टर) मोब. 9888899908 सामने आया और उसने कहा कि, "मैं कमिश्नर के साथ दारू पीता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता" यह धमकी भी दी थी कि, "40,000/- रु. लेना है तो ले और खत्म कर कहानी अगर नहीं मानेगा तो मैं थाना-प्रभारी को 50,000 रु. देकर तेरे ऊपर ही उल्टा पर्चा दर्ज करवा दूँगा" यह कहते हुये अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के भाई द्वारा पीड़ित नं. 2 को धमकी दी गई मगर वह नहीं डरा तो अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के बड़े भाई ने कहा कि, "ठीक है समझौता करते हैं" और 40,000 रु. देने की बात करने लगा तो पीड़ित नं. 2 ने कहा कि ठीक है 40,000/- रु. के साथ मुझे पूरा बैंक स्टेटमैंट दो जिससे मुझे यह पता चले कि अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की ने किसी और के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की तो उसने पीड़ित नं. 2 को उसी वक्त 20,000/- दिये साथ ही पंजाबी में रकम देने की बात लिखी जहाँ पर विक्की का मामा रंजीत सिंह, सुखदेव सिंह, जोगिंदर सिंह (जो हस्ताक्षर करने के लिये बाद में आये थे) आदि थे, सुखदेव सिंह ने अपने पापा के आने से पहले ही हमें समझा दिया था कि पापा को कुछ मत बताना सिर्फ पैसे पकड़ लेना, उस वक्त वहाँ पर पीड़ित नं. 1 (मुकेश ठाकुर) भी मौजूद था और आरोपी के भाई सुखदेव सिंह ने कच्ची लिखापढ़ी पंजाबी में लिखी थी लेकिन उसपर खुद हस्ताक्षर ना करके अपने पापा, मामा, पीड़ित नं. 1 व पीड़ित नं. 2 से हस्ताक्षर करवाये जिसकी पीड़ित नं. 2 ने उससे फोटोकॉपी भी ली जिसे जब पीड़ित नं. 2 नें बाद में देखा तो उसमें 20,000/- रु. की जगह केवल 11861/- रु. की ही रकम लिखी थी तब उसने सोचा कि, जब यह बैंक स्टेटमैंट और माफीनामा लेकर आयेगा तब उसमें ठीक लिखवाया जायेगा मगर वह समय पर बैंक स्टेटमैंट और माफीनामा नहीं लाया इसका मतलब साफ हो गया था कि, अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व उसके भाई सुखदेव सिंह (फूड इंस्पैक्टर) ने मिलकर अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी की होगी|

लगभग दो घंटे बाद सुखदेव सिंह ने पीड़ित नं. 1 (मेरे दोस्त मुकेश) को फोन करके कहा कि, "अपना समझौता तो हो ही गया है तो पुलिस में जो शिकायत की गई है उसे वापस ले लें और ब्यान की कॉपी भी दे दो जिससे यह पता चले कि आपने शिकायत वापस ले ली है" तो पीड़ित नं. 1 ने बाद में पीड़ित नं. 2 के द्वारा

Mukesh Thakur



Vicky @ Jaybird

Scanned by CamScanner

कहलवा दिया कि, "आपने बैंक स्टेटमैंट और माफीनामा नहीं दिया है जबतक किया गया वादा पूरा नहीं करोगी तब तक शिकायत वापस नहीं ली जायेगी"|

सुखदेव ने माफीनामा व बैंक स्टेटमैंट देने के लिये 1-2 दिन का कहा था मगर लगभग 10 दिन के बाद भी बैंक स्टेटमैंट और माफीनामा लाकर नहीं दिया जिसके बाद पीड़ित नं. 1 और 2 संगठन से बात की और संगठन द्वारा Paytm संबंधी मामले को समझ कर व पीड़ित से शपथ-पत्र लेते हुये साथ ही सबूतों को देखते हुये दि. 15.06.2017 को संबंधित विभागों में पत्र भेजे दिये|

दि. 17.06.2017 को संगठन द्वारा संबंधित विभागों को शिकायत-पत्र भेजने के बाद मामले को सोशल मीड़िया पर फैलाया गया, दि. 18.06.2017 को मामले से संबंधित पर्चियाँ मौहल्ले में बाँटी गई जिसकी वजह से इसी दिन शाम को टिब्बा चौकी (बस्ती जोधेवाल पुलिस थाना) में आरोपियों द्वारा पीड़ित नं. 1 और 2 के खिलाफ शिकायत दी गई और उस शिकायत पर पीड़ित नं. 1 और 2 को रात 7.00 बजे से 11.30 बजे तक बयान के लिये बैठा कर रखा गया, पीड़ित नं. 1 और 2 के पुलिस थाने पहुँचने से पहले ही आरोपियों नें M.L.A. के भतीजे नितिन तलवार को भी अपने साथ चौकी में लाया हुआ था जो अपना दबदबा पुलिस थाने पर दिखा रहे थे| उस समय पीड़ित नं. 1 और 2 ने ASI स्वर्ण सिंह से अपने (पीड़ित नं. 1 और 2) खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी भी माँगी और दिखाने के लिये भी कहा मगर उन्होंने नहीं दिखाया इसके बाद पीड़ित नं. 1 और 2 ने ASI स्वर्ण सिंह से पूछा कि, "हमने (पीड़ित नं. 1 और 2) जो पहले A.C.P. और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है उसपर क्या हुआ?" लेकिन स्वर्ण सिंह ने पीड़ित नं. 1 और 2 की कोई बात नहीं सुनी आरोपियों का ही साथ देता रहा|

दि 19.06.2017 को आरोपी के भाई सुखदेव सिंह द्वारा पीड़ित नं. 1 और 2 के खिलाफ कमिश्नर को शिकायत की गई जिसमें उसने कहा कि, "मुझे और मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं" उस शिकायत में सुखदेव सिंह के द्वारा यह भी लिखा गया था कि, "मेरे भाई विक्की व लकी के बीच में कुछ लेनदेन का मामला था जो सुलझा लिया गया है" लेकिन उस शिकायत में अपने भाई विक्की के द्वारा Paytm खाते से संबंधित जो धोखाधड़ी की गई है उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी| इस शिकायत में उसने यह भी कहा कि, "मुकेश ठाकुर हमें धमकी देते हुये हमसे 1 लाख रु. की माँग कर रहा है"| दि. 19.06.2017 को Paytm संबंधित मामले में संगठन द्वारा सायबर क्राईम को ईमेल पर शिकायत की गई थी जिसका जवाब आया मगर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी|

दि. 21.06.2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 के खिलाफ आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की व सुखदेव सिंह की बहन नवनीत कौर द्वारा डिविजन नं. 1 (कोतवाली) में झूठी शिकायत दी गई जिसमें कहा गया था कि, "मैं दि. 21.06.2017 को करीब 11.30 से 12 बजे के बीच टिब्बा रोड़ से पवेलियन मॉल पुरानी कचहरी के लिये स्कूटी से जा रही थी, जब मैं घंटाघर से आने वाले कचहरी पुल की तरफ पहुँची तो दो लड़के जो मोटर साइकिल पर सवार थे मेरे कंधे पर कोई तेज धार हथियार मारकर चले गये जिस मार से मुझे खून निकलने लगा था" इस शिकायत के साथ नवनीत कौर ने मैडिको लीगल रिपोर्ट भी साथ लगाई थी जिसमें लिखा था कि धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ है और ना ही खून निकला है जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह शिकायत झूठी है|

Mukesh Thakur



Lucky@Jagdish

Scanned by CamScanner

दि. 22.06.2017 को फेसबुक पर मामला पोस्ट करने के बाद आरोपियों के दोस्तों द्वारा फेसबुक पर गाली-गलौच की गई थी जिसकी शिकायत देने के लिये पीड़ित नं. 1 दि. 22/06/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना (जिसका शिकायत नं. 1131687 है) गया हुआ था जैसे ही पीड़ित नं. 1 शिकायत दे कर बाहर निकला तभी उसको डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने से फोन आया था कि, "आपके खिलाफ शिकायत मिली है तो आज आप आ जाओ" इसी प्रकार पीड़ित नं. 2 को भी फोन करके थाने बुलाया गया| नोटः इस शिकायत की कॉपी ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही लकी के क्लीनिक से चोरी की गई|

पीड़ित नं. 1 और 2, डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने पहुँचे जहाँ पर पीड़ित नं. 1 से महिला पुलिस ने सारी बातें पूँछीं तो पीड़ित नं. 1 ने Paytm से संबंधित पूरा मामला बताया जिसके बाद महिला पुलिस ने भी कहा कि, "तुम्हें फँसाया जा रहा है Paytm के मामले को दबाने के लिये तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमें तो ऊपर से आदेश मिला है" फिर ACP साहिब ने ऊपर बुलाया जहाँ पहले से ही SHO साहब भी बैठे हुये थे| अन्दर जाने से पहले पीड़ित नं. 1 और 2 की अच्छी तरह से तलाशी ली गई और पीड़ित नं. 1 और 2 के मोबाईल भी रख लिये गये, जब दोनों अन्दर गये तो ACP साहब ने सीधे ही पीड़ित नं. 1 और 2 से कहा कि, "तुम लोग लड़की को छेड़ते हो और उस पर हमला भी करते हो" तो पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "सर, अगर आपको लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया तो वहाँ पर कैमरे लगे हैं, जाँच कर लीजिये अगर आपको फिर भी लगता है कि, हमने ऐसा किया है तो हमें अन्दर कर दीजिये" जिसके जवाब में ACP साहब ने पीड़ित नं. 1 को कहा कि, "तू मुझे कानून सिखाता है इसे अन्दर करो इस पर 307, 354 लगाओ" उसके बाद पीड़ित नं. 1 और 2 को हवालात में बंद कर दिया गया, यह खबर जैसे ही पीड़ित नं. 1 और 2 के पहचानवालों व संगठन के बाकी देश भर के सदस्यों को मिली तो उन्होंने देश भर से पंजाब पुलिस प्रशासन को फोन व SMS (Bina evidence larki ke jhuthe bayan par bhrashtachar karte hue division no 1 (chaura bazar kotwali) ludhiana ke SHO ne victims ko 3.00pm se thane me baitha kar rakha hai) किये| जब पीड़ित नं. 1 और 2 के दोस्त व संगठन के सदस्य पुलिस थाने आये तो थाने में बहुत बहस हुई, थाने में मौजूद अधिकारियों को यह नजर आ गया था कि पीड़ित नं. 1 और 2 पर झूठा मामला दर्ज किया जा रहा है मगर ऊपरी दबाव की वजह से उन्होंने पीड़ित नं. 1 और 2 पर हल्की धारायें लगाते हुये आरोपी की बहन की झूठी शिकायत पर Cr.P.C. 107, 151 के तहत D.D.R. No. 23 दि. 22.06.2017 को डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दी| अगले दिन पीड़ित नं. 1 और 2 ने दि. 23.06.2017 को इस मामले में जमानत करवाई|

पीड़ित नं. 1 और 2 जमानत लेकर लगभग दो बजे अपने-अपने घर पहुँचे और उसी दिन शाम को पीड़ित नं. 1 और 2 को टिब्बा चोकी के ASI स्वर्ण सिहं द्वारा बुलाया गया, जब पीड़ित नं. 1 और 2 वहाँ पहुँचे तो फिर से इनपर पर एक और झूठा मामला FIR NO. 236 दि. 23.06.2017 को 384, 420, 511, 500, 120(B) 34 आदि धाराओं के तहत दर्ज कर दिया गया| टिब्बा चौकी (बस्ती जोधेवाल पुलिस थाने) में दर्ज की गई FIR में दि. 24.06.2017 को हमें अदालत में पेश किया गया जहाँ पर कोर्ट ने पीड़ित नं. 1 और 2 को जेल भेजने का आदेश दिया पर ASI स्वर्ण सिहं पीड़ित नं. 1 और 2 को जेल ले जाने के बजाये फिर से टिब्बा चौकी ले गया जहाँ पर आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की के पिता जोगिन्द्र सिहं को बुलाया गया और उसके कहे अनुसार (जिससे मौहल्ले के लोग देख सकें कि हम जैसे बाहुबली रिश्वतखोरों की शिकायत करने का



Mukesh Thakur

Lucky @ Jaydeep

अंजाम क्या होता है) पीड़ित नं. 1 और 2 को शाम 4.30pm बजे से 6.30pm बजे के बीच A.S.I स्वर्ण सिंह ने अपने दो साथी पुलिसकर्मियों (मोहिन्दर और दविन्दर) के साथ पीड़ित नं. 1 और 2 को हथकड़ियाँ लगाकर मौहल्ले में घुमाया उसके बाद पीड़ित नं. 2 की दुकान को खुलवाया और बिना पंचनामा किये वहाँ से प्रिंटर, वहाँ लगा कैमरा, (वही कैमरा जिसमें फैसले के दिन की रिकॉर्डिंग व आरोपी के भाई सुखदेव सिंह द्वारा दी गई धमकियों की रिकॉर्डिंग थी और अन्य कीमती सामान के अलावा मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज़ A.S.I स्वर्ण सिंह द्वारा चोरी किये गये थे उसकी भी रिकॉर्डिंग थी) आदि उठा लिया| उसके बाद पीड़ित नं. 1 और 2 को जेल ले जाया गया| हमें हथकड़ियाँ लगाकर मौहल्ले में घुमाने कि शिकायत Whistleblower मुकेश की मम्मी के द्वारा दि. 03.07.2017 को पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस कमिश्नर लुधियाना और पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को की गई थी|

दि. 27.06.2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 पर दि. 23.06.2017 को दर्ज हुई FIR NO. 236 की कॉपी उनके घरवालों को FIR दर्ज होने के 4 दिन बीतने के बाद भी नहीं दी गई थी और ना ही इंटरनेट पर रखी गई थी जिसके लिये पीड़ित नं. 1 की मम्मी, बहन व संगठन के सदस्यों द्वारा टिब्बा चौकी व बस्ती जोधेवाल पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़े, डी.सी.पी. ध्रुमन निंबाले को भी शिकायत करनी पड़ी (जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है) तब जाकर बड़ी मुश्किल से F.I.R. की कॉपी मिली, F.I.R. की कॉपी ना मिलने पर President's Secretariat की Online Helpline पर शिकायत की गई थी (जिसका Registration number PRSEC/E/2017/08362 dt-27/07/2017 हैं और Registration number GOVPB/E/2017/00675 dt-27/06/2017 हैं)| दि. 05.07.2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 के द्वारा जेल में रहते हुये शिकायत तैयार करवाई गई जिसे जेल में पीड़ित नं. 1 और 2 ने हस्ताक्षर किये और फिर सभी विभागो में 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत शिकायत भेजी गई|

दि. 06.07.2017 को 'लुधियाना सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस' N.G.O. द्वारा थाना-प्रभारी और पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) को जाँच अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधियों के साथ मिलीभगत करके कानून को गाली दी गई है इसपर संज्ञान लेते हुये कार्यवाही करें की शिकायत दी गई|

दि. 10.07.2017 को 'एक दिन में ही पीड़ित नं. 1 और 2 पर 2 (उस वक्त दो F.I.R. दर्ज हुई थीं) F.I.R. दर्ज करके जेल भेजने की शिकायत के मामले में विशेष जाँच टीम के द्वारा मामले की जाँच करवाते हुये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों व आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने हेतु जिलाधिकारी, लुधियाना को शिकायत पत्र दिया गया था| दि. 12.07.2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 द्वारा जिला अधिकारी को 'Nauhria's Multispeciality Hospital से CCTV कैमरे की फुटेज लेने बाबत' शिकायत दी गई (जिसका शिकायत क्र. 1159/CEA दि. 12.07.2017) जो लकी के अस्पताल में होने का सबूत था यानि नवनीत कौर के लगाये गये आरोप को निराधार साबित करता था)| दि. 12.07.2017 को पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत में 'सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज ली जाये साथ ही ब्रिज खत्म होने समय के भी सभी सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज सील करवा ली जाये और पीड़ित नं. 1, पीड़ित नं. 2 व नवनीत कौर की मोबाईल लोकेशन निकाली जाये' की शिकायत दी जिसका शिकायत क्र. 1147211 दि. 12.07.2017 है|



Scanned by CamScanner

दि. 13.07.2017 को ADCP-1 को पीड़ित नं. 1 की तरफ से CCTV कैमरे की फुटेज के लिये शिकायत दी गई (शिकायत क्र. 1377-5C/ADCP-1), दि. 14.07.2017 को ACP/East को RTI लगाई गई जिसमें 'दि. 3.05.2017 की शिकायत क्र. 1088923(559-5C) की कॉपी माँगी गई व इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई की सत्यापित कॉपी' माँगी गई (पोस्टल ऑर्डर नं. 39F 020627, RTI क्र. 2560/RTI दि. 14.07.2017), दि. 14.07.2017 को पुलिस कमिश्नर/DCP को RTI लगाई जिसमें 'फेसबुक पर मामला पोस्ट करने पर आरोपी के दोस्तों द्वारा गाली-गलौच किये जाने पर पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को शिकायत दी गई(जिसका शिकायत नं. 1131687 दि. 22.06.2017 है) की कॉपी माँगी गई और इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई उसकी सत्यापित कॉपी माँगी गई'| (पोस्टल ऑर्डर नं. 39F 020626, RTI क्र. 2559/RTI दि. 14.07.2017) नोटः इस शिकायत की कॉपी ASI स्वर्ण सिंह द्वारा अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही पीड़ित के ऑफिस से चोरी की गई| दि. 14.07.2017 को RTI, लगाई जिसमें 'पीड़ित(पीड़ित नं. 2) द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 1104070 पर क्या कार्यवाही की गई व जिन लोगों के ब्यान दर्ज किये गये उसकी सत्यापित कॉपी माँगी गई| (पोस्टल ऑर्डर नं. 39F 020624, RTI क्र. 2562/RTI दि. 14.07.2017), दि. 17.07.2017 पुलिस कमिश्नर को सी.सी.टी.वी. फुटेज सुरक्षित रखने आ आवेदन दिया गया (रजिस्ट्री पोस्ट से 19.07.2017 को भेजी गई)|

दि. 19.07.2017 को जेल सुप्रिंटेंडेंट को RTI लगाई गई जिसमें 'FIR No- 236 dt.23/06/2017 पुलिस थाना बस्ती जोधेवाल की जेल एंट्री दि. 24/06/2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 को जेल लाया गया, जेल में पीड़ित नं. 1 और 2 का जो भी रिकार्ड है उन सब की हमें कॉपी दी जाये जैसे, मैडीकल रिपोर्ट, रजिस्टर में लिखा आने का दिन और समय भी दिया जाये| (पोस्टल ऑर्डर नं. 39F 020625 18/07/2017 जो रजिस्ट्री पोस्ट से 19.07.2017 को भेजी गई)| दि. 20.07.2017 को राष्ट्रपति कार्यालय व प्रधानमंत्री कार्यालय (PGPortal) में Online शिकायत की जिसमें 'गैर-कानूनी तरीके से Paytm से पैसे निकालने की शिकायत दिये एक माह होने के बाद भी कार्यवाही ना करने और एक दिन में ही whistle blower (पीड़ित नं. 1) व पीड़ित (पीड़ित नं. 2) पर F.I.R. दर्ज करके जेल भेजने की शिकायत के मामले में विशेष जाँच टीम के द्वारा मामले की जाँच करवाते हुये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों व आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करने हेतु' कहा गया| (जिसका Registration number PRSEC/E/2017/09464 dt-20/07/2017 और Registration no- DEPOJ/E/2017/03308 dt-20/07/2017 है)| दि. 22.07.2017 को पुलिस कमिश्नर व पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को भी पीड़ित नं. 1 द्वारा यह शिकायत दी गई| दि. 21.07.2017 को आरोपियों (अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और फूड इंस्पैक्टर सुखदेव सिंह) के वकील द्वारा मानहानि का लीगल नोटिस भेजा गया जिसका संगठन द्वारा दि. 03.08.2017 को जवाब दिया गया|

दि. 24.07.2017 को DCP को RTI, लगाई गई जिसमें 'FIR No- 236 दि. 23/06/2017 मामले में पीड़ित नं. 1 और 2 के जो भी ब्यान लिये गये उन सबकी Certified कॉपी माँगी गई'| (जिसका पोस्टल ऑर्डर नं. 38F 924409 dtd. 22/07/2017 है)| दि. 25.07.2017 को DCP को RTI लगाई गई जिसमें 'रविवार दि. 18.06.2017 को टिब्बा चौकी, बस्ती जोधेवाल पुलिस थाना में अमृतपाल सिंह या सुखदेव

Mukesh Thakur



Lucky@Jaykind

Scanned by CamScanner

सिंह ने जो शिकायत दर्ज की है उस शिकायत की कॉपी व उस शिकायत पर पीड़ित नं. 1 और 2 के जो बयान शाम 7.00pm से 11.00pm बैठा कर लिये गए थे उसकी सत्यापित कॉपी दी जाए (जिसका पोस्टल ऑर्डर नं. 38F 924408 dtd. 22/07/2017 है)' की जानकारी माँगी गई| दि. 26.07.2017 को संगठन द्वारा ACP/North सचिन गुप्ता के खिलाफ संबंधित विभागों में शिकायत-पत्र भेजे गये, दि. 27.07.2017 को DCP को Paytm से चोरी से संबंधित मामले में तकनीकी सबूत RTI द्वारा माँगे गये| दि. 28.07.2017 को IG सायबर क्राईम को RTI लगाई गई|

इतनी शिकायतें करने और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों व ACP/North सचिन गुप्ता द्वारा करवाई गई FIR के मामलों में इंटरव्यू के द्वारा जानकारी दी गई जो फेसबुक व सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई जिसकी वजह से ACP/North सचिन गुप्ता बुरी तरह बौखला गये जिसके बाद ACP/North सचिन गुप्ता के इशारे पर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने पीड़ित नं. 1 और 2 पर एक और नई लूट-पाट और धमकी की FIR 19/08/2017 को दर्ज कर दी|

दिनांक 19.08.2017 की सुबह 5.30 बजे के आसपास जोर-जोर से पीड़ित नं. 1 के घर का दरवाजा खटखटाया जाने लगा जैसे ही पीड़ित नं. 1 की पत्नी अनुपम ने दरवाजा खोला 3 आदमी तेजी से घर के अन्दर घुसे (एक सिपाही (कशमीर सिंह) पुलिसवर्दी में था व दो (उसमें से एक ASI स्वर्ण सिंह था और दूसरा हरप्रीत सिंह था) जो बिना वर्दी के थे)| पीड़ित नं. 1 की मम्मी चंद्रकला ठाकुर को भी उन्होंने धक्का दिया और सीधा ही पीड़ित नं. 1 (मुकेश ठाकुर) कमरे में घुस गये और उसकी गर्दन पकड़ कर उसे घसीटने लगे, पीड़ित नं. 1 को कपड़े भी पहनने नहीं दे रहे थे| जब पीड़ित नं. 1 के परिवारवालों द्वारा पूछा गया कि, "ऐसा क्यों कर रहे हो" तो ASI स्वर्ण सिंह बोला कि, "ACP की शिकायत करोगे अब अंजाम भुगतो, अब तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होने वाला है" ऐसा कहकर लगभग घसीटते हुये वे लोग पीड़ित नं. 1 को बाहर ले गये|

पीड़ित नं. 1 और 2 को घर से उठाने के लिये 7 पुलिसवाले आये थे जिनमें सिर्फ 2 पुलिसवर्दी (कपिल शर्मा और सिपाही कशमीर सिंह) में थे और बाकी बिना पुलिसवर्दी के थे, हरप्रीत सिंह के साथ कपिल शर्मा (टिब्बा चौकी इंचार्ज) और कुछ पुलिसवाले बाहर खड़े थे और यह पुलिसवाले एक गाड़ी व दो बाईक से आए थे| जब पीड़ित नं. 1 को गाड़ी में बैठाया गया तब उसे पीड़ित नं. 2 भी दिखा जिसे पहले से ही पकड़ कर लाये हुये थे मगर गाडी में उसको बैठा रखा था| पीड़ित नं. 1 और 2 को गाड़ी में बैठाकर टिब्बा चौकी इंचार्ज कपिल शर्मा ने गाडी पीछे लेकर आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्की और फूड इंस्पैक्टर के पिता जोगिन्दर सिंह के घर के बाहर 5-7 मिनट के लिये रोक दी, स्वर्ण सिंह ने जोगिन्दर सिंह से कानाफूसी की और उसके बाद पीड़ित नं. 1 और 2 को बस्ती जोधेवाल पुलिस थाने लेकर गये| जब पीड़ित नं. 2 को उसके घर से उठाया गया था उस वक्त 5.00 बजे के आसपास का समय था उस वक्त वहाँ पर रजिन्दर कौर (पीड़ित नं. 2 की मकान मालकिन व उनका परिवार), राजू, राजू की पत्नी व उनके बच्चों (जो वहीं रहते हैं) ने भी पीड़ित नं. 2 को पुलिस द्वारा उठाते हुये देखा था| पीड़ित नं. 1 को जब पुलिसवाले ले जा रहे थे तब पीड़ित नं. 1 के घर के सामनेवाले मकान के किरायेदार विभा और उनके सभी किरायेदार भी बाहर आ गये थे उन्होंने भी देखा था इसके अलावा सोनू, सकिन्दर आदि ने भी देखा कि किस प्रकार पुलिसवाले सुबह-सुबह पीड़ित नं. 1 और 2 को लेकर जा रहे हैं| पुलिसवाले पीड़ित नं. 1 और 2 को बिना कोई कागजात दिखाये व जानकारी दिये अपने

Mukesh Thakur

Lucky @ Jaybind



Scanned by CamScanner

साथ उठाकर ले गये| पीड़ित नं. 1 की बहन नीलम व उनके पति (जो अपने परिवार सहित हमारे साथ ही रहते हैं) भी आ गये थे मगर पुलिस वालों ने सभी के साथ अभद्रता की और गाली-गलौच की|

पुलिस थाने में जाकर पुलिस ने पीड़ित नं. 1 और 2 को पीछे बैठा दिया जिसमे पीड़ित नं. 1 और 2 किसी को दिखाई ना दें, थोड़ी देर बार SHO ने पीड़ित नं. 1 को बुलाया जहाँ उसके साथ कपिल शर्मा और हरप्रीत सिंह भी मौजूद थे, हरप्रीत सिंह के हाथ में संगठन द्वारा ACP को की गई शिकायत की कॉपी भी थी| SHO ने पीड़ित नं. 1 से पूछा कि, "सोनिका क्रांतिवीर कौन हैं?" और ये भी कहा कि, "इनका घर बताओ, इनको भी पकड़ कर लाओ" तो पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "ये तो मुंबई में हैं" तो SHO ने कहा कि "फिर इन्हें भी नोटिस भेजो"| पीड़ित नं. 1 ने कपिल शर्मा से पूछा कि, "हमें क्यों उठा कर लाया गया है?" तो उसने कहा कि, "तूने शिकायत में लिखा है कि सुखदेव सिंह कमिश्नर के साथ दारू पीता है और अभी ACP सचिन गुप्ता व ASI स्वर्ण सिंह का फोटो भी लगाया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं देश बेच दूँगा" तो पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "जो सच है वो मैंने संगठन वालों को बता दिया और उन्होंने लिख दिया"| पीड़ित नं. 1 जब बाहर निकला तो उसे ASI स्वर्ण सिंह दिखा जो उसे देखते ही कहने लगा कि, "तूने मेरी शिकायत की है मैं तेरे चड्ढे फाड़ दूँगा, तेरा घर बिकवा दूँगा और तेरा वो हाल करूँगा कि पता लगेगा कि पुलिस के खिलाफ शिकायत करने का क्या नतीजा होता है" पीड़ित नं. 1 ने तुरंत ही ASI स्वर्ण सिंह की धमकी की शिकायत SHO और कपिल शर्मा को की तो कपिल शर्मा ने कहा कि, "बाकी पुलिसवाले कैसे हैं? तेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं ना" तो पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "फिलहाल तो सब ठीक से बात कर रहे हैं" इसके बाद कपिल शर्मा ने SHO को कहा कि, "स्वर्ण सिंह की बहुत शिकायतें आ रही हैं इसकी बदली करनी पड़ेगी" फिर कपिल शर्मा ने पीड़ित नं. 1 से कहा कि, "ठीक है, इसका भी कुछ हल करते हैं, अब जाओ और वहाँ जाकर बैठो" जिसके बाद पीड़ित नं. 1 वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पीड़ित नं. 1 और 2 को बैठाया गया था"|

जब थोडी देर बाद पीड़ित नं. 1 बाथरूम करने ऊपर गया तो वहाँ कपिल शर्मा और जोगिन्दर सिंह (जिसने पीड़ित नं. 1 और 2 पर झूठी FIR No. 343/17 दि. 19.08.2017 को दर्ज करवाई थी) आपस में बात कर रहे थे कि इनपर कौन सा केस दर्ज किया जाये ? जिस से पीड़ित नं. 1 को पता चल गया कि अभी पीड़ित नं. 1 और 2 पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और यह लोग प्लान बना रहे हैं कि इनपर कौन सा केस दर्ज किया जाये|

जब पीड़ित नं. 1 और 2 को पुलिस द्वारा गैर-कानूनी रूप से घर से उठाया गया था तब उसी समय सुबह 6:11am बजे पीड़ित नं. 1 की पत्नी अनुपम ठाकुर ने मोब. नं. 9815331427 से 'भ्रष्टाचार विरूद्ध जागृति अभियान' संस्था की संस्थापक सोनिका क्रांतिवीर मोब. नं. 9920913965 से बात की और पीड़ित नं. 1 और 2 को इस प्रकार गैर-कानूनी तरीके से घर से ले जाने के बारे में उन्हें जानकारी दी तो उनकी संस्था की तरफ से 6:22 बजे 9920913965 से SHO (बस्ती जोधेवाल पुलिस थाना) मोब. नं. 7837018615 को फोन करके पूछा गया कि, "किस अपराध में मुकेश व लकी (पीड़ित नं. 1 और 2) को उठाया गया है और उन्हें उठाने के लिये उसी स्वर्ण सिंह को क्यों भेजा जिसकी शिकायत हम लोग पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग व पुलिस कमिश्नर को पहले ही दे चुके हैं, ऐसी स्थिती में स्वर्ण सिंह शासकीय काम ईमानदारी से करने की अपेक्षा केवल दुश्मनी ही निकालेगा" जवाब में SHO द्वारा कहा गया कि, "मैं थाने पहुँचूगा फिर बताता हूँ" जिसके बाद पीड़ित नं. 1 की मम्मी चंद्रकला ठाकुर, उसकी बहन नीलम, जीजा जी व संस्था के दो

Mukesh Thakur Lucky



Scanned by CamScanner

सदस्य टिब्बा चौकी गये जिससे पता चल सके कि, "पीड़ित नं. 1 और 2 को पुलिसवाले कहाँ ले कर गये हैं और क्यों ले गये हैं" मगर जब यह सभी लोग टिब्बा चौकी पहुँचे तो उन पाँचों को आधे घंटे तक कैद करके रख लिया गया, इन्हें गालियाँ दी गई व इनके साथ अभद्रता की गई साथ ही इन सभी के मोबाईल छीन लिये गये और मोबाईल चैक किये गये इसके साथ ही गालियाँ देते हुये पुलिसकर्मियों द्वारा कहा गया कि "बहुत भगत सिंह बनता है, ए.सी.पी. की शिकायत करने का अंजाम क्या होता है अब मालूम पड़ेगा" मगर पीड़ित नं. 1 (मुकेश) व पीड़ित नं. 2 (लकी) को कहाँ ले गये हैं यह नहीं बताया गया, यह सारी गालियाँ ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह द्वारा दी गई और उसके निर्देश पर ही इन सब को आधे घंटे के लिये कैद करके रखा गया| अब इन्हें वहाँ से छोड़ा गया तो वे लोग पीड़ित नं. 1 और 2 को ढूंढने थाना बस्ती जोधेवाल गये वहाँ पर भी पीड़ित नं. 1 और 2 का कोई पता नहीं चला|

सुबह 8.14 बजे के आसपास 'पंजाब पुलिस हेल्पलाईन नंबर 181' पर पीड़ित नं. 1 और 2 को उठाकर ले जाने के मामले में शिकायत किये जाने की कोशिश की गई मगर 8.27 बजे जाकर शिकायत दर्ज हो पाई| जब SHO ने पीड़ित नं. 1 को बुलाया था उसके थोड़ी देर बाद हरप्रीत सिंह ने पीड़ित नं. 2 को बुलाया था और उससे उसका नाम, पता आदि पूछ कर व लिख कर सादे पेपर पर को बगैर पूरा भरवाये उसपर पीड़ित नं. 2 के हस्ताक्षर करवाये थे| 12.00 बजे से 1.00 बजे के आसपास मुलक्खन सिंह और विजय कुमार ने कई फॉर्म पर सिर्फ पीड़ित नं. 1 और 2 का नाम, पता लिखकर पीड़ित नं. 1 और 2 कई पेपरों पर हस्ताक्षर करवाये जिसपर नाम या पते के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था|

संस्था के संस्थापक शिव नारायण द्वारा SHO से कई बार बातचीत की गई तब SHO द्वारा बताया गया कि, "हम 1-2 घंटे में दोनों (पीड़ित नं. 1 और 2) को छोड़ देंगे" (जिसकी सारी रिकॉर्डिंग व कॉल डीटेल snapshot के साथ मौजूद है)| जब संस्था के फोन आ रहे थे तो SHO ने पीड़ित नं. 1 से कहा कि, "तुम्हारे लोगों के फोन आ रहे हैं इसे रूकवाओ" तो पीड़ित नं. 1 ने उन्हें कहा कि, "आप मेरी बात करवाओ मैं रोकने के लिये बोलता हूँ" तो SHO ने कहा कि, "रहने दे मैं खुद बोल दूँगा"| इसके बाद मैंने SHO से पूछा कि, "हम कब जायेंगे?" तो उन्होंने कहा कि, "हम तुम्हें 1-2 घंटे तक छोड़ देंगे" तो पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "मुझे घरवालों को फोन करने दो" तो SHO ने कहा कि, "अभी तुम्हें छोड़ देंगे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है"|

इसके बाद पीड़ित नं. 1 की मम्मी, दीदी, उनके पति और संगठन के 4 सदस्य मिलकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शिकायत करने गये मगर उस दिन पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कोई भी शिकायत नहीं ले रहा था| आखिर 2.00 बजे के आसपास सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई गई जिसके जवाब में सेशन कोर्ट ने '23.08.2017 तक पुलिस कमिश्नर को जवाब देने के लिये कहा', लगभग 3.45 बजे के आसपास पीड़ित नं. 1 की मम्मी, दीदी व उनके पति और संगठन के सदस्य पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के नजदीक मौजूद CIA ऑफिस के बाहर खड़े थे तभी बस्ती जोधेवाल पुलिस थाने से राधेश्याम (जो गाड़ी चला रहा था), IO मुलक्खन सिंह और संत्री थे जो गाड़ी नं. PB 08 BZ 4512 से मुझे (मुकेश) व लकी को लेकर आये तब CIA ऑफिस के बाहर मेरी मम्मी, दीदी, जीजाजी और संगठन के कुछ सदस्य जिनमें हरमीत भी मौजूद था आदि दिखे तो पीड़ित नं. 1 ने हरमीत से बात करने की कोशिश की तो राधेश्याम उन सभी को धमकी देते हुये पीड़ित नं. 1 और 2 को खींचता हुया सीधा ही CIA ऑफिस के अंदर ले गया|



Scanned by CamScanner

जब पीड़ित नं. 1 के परिवारवालों और संगठन के सदस्यों ने CIA के पुलिसकर्मियों से जानने की कोशिश की, कि "मुझे व लकी (पीड़ित नं. 1 और 2) को क्यों गिरफ्तार किया है और यहाँ क्यों लेकर आये हैं" तो CIA के स्टाफ व CIA के इंचार्ज जतिन्दर कुमार द्वारा अभद्रता की गई, गाली-गलौच किया गया और धक्का भी दिया गया मगर पीड़ित नं. 1 और 2 के बारे में परिवारवालों को कोई जानकारी नहीं दी गई|

CIA ऑफिस में CIA इंचार्ज जतिंदर कुमार और उनके साथियों द्वारा पीड़ित नं. 1 (मुकेश) और पीड़ित नं. 2 (लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद) को सिर पर 70-80 चप्पलों से यह कहते हुये मारा गया कि, "तूने ए.सी.पी. के खिलाफ शिकायत की है, अब अंजाम भुगत" पीड़ित नं. 1 और 2 के पैर बाँधकर बहुत बुरी तरह मारा गया, पीड़ित नं. 1 और 2 के सिर कद्दु की तरह व पैर हाथी के पैर की तरह सूज गये थे जिसकी वजह से पीड़ित नं. 1 और 2 चक्कर खाकर गिर रहे थे और अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और उनके लिये चप्पल पहनना भी मुश्किल हो गया था| उस वक्त वहाँ पर IO सुलक्खन सिंह, राधेश्याम और वहाँ मौजूद सभी पुलिसवाले यह सारा तमाशा देख रहे थे साथ ही यह बोल भी रहे थे कि, "अभी भी तुम अगर पुलिस की शिकायत करने से पीछे नहीं हटे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे या मार देंगे"| CIA ऑफिस में पीड़ित नं. 1 और 2 से बिना पढाये कई कागज़ातों व कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाये गये बाद में लगभग 2 घंटे बाद हमें दूसरी गाड़ी से पुलिस थाना बस्ती जोधेवाल लाया गया|

तब तक पीड़ित नं. 1 और 2 को नहीं पता था कि इनपर क्या अपराध दर्ज किया गया है| संगठन के द्वारा सुबह से ही सभी जिम्मेदार विभागों में फोन व ईमेल के जरिये इस अपरहरण की शिकायतें दी जाती रहीं| आखिर काफी दबाव के बाद रात 10.30 बजे के आसपास बस्ती जोधेवाल के SHO द्वारा यह कबूल किया गया कि, "मुकेश व लकी को उनके थाने में गिरफ्तार करके रखा गया है" जिसकी वजह से लगभग 11.00 बजे के आसपास पीड़ित नं. 1 के घरवाले पीड़ित नं. 1 और 2 से मिलने बस्ती जोधेवाल थाने आये|

दूसरे दिन दिनांक 20.08.2017 को पीड़ित नं. 1 और 2 को 2.00 बजे तक अदालत में पेश ना करने की वजह से पीड़ित नं. 1 की मम्मी की तरफ से 2.00pm बजे के आसपास ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को शिकायत दी गई जिसके बाद अदालत में लगभग 3.45pm बजे के आसपास पीड़ित नं. 1 और 2 को जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह व विजय कुमार ने बिना मैडिकल जाँच करवाये पेश किया गया| जब पीड़ित नं. 1 की मम्मी से ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता द्वारा पूछा गया कि, "मुकेश (पीड़ित नं. 1) को कितने बजे उठाया?" (जिसकी जानकारी शिकायत-पत्र में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को दिया गया था में दर्ज थी), पीड़ित नं. 1 की मम्मी द्वारा "सुबह 5.00am बजे से 5.30am बजे" का समय बताया गया| जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता द्वारा जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह से पूछा गया कि, "इन्हें (पीड़ित नं. 1 और 2) कितने बजे गिरफ्तार किया?" तो उसने कहा कि, "हमने 6.30am बजे इन्हें गिरफ्तार किया था" जब उससे पूछा गया कि, "Intimation कब दिया था" तो जाँच अधिकारी ने जवाब दिया कि 6.00am बजे Intimation दिया था" फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता द्वारा पूछा गया कि, "Intimation किसे दिया था" तब जाँच अधिकारी ने कहा कि, "मुझे नाम नहीं मालूम" जिसे सुनकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता ने जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह की फटकार लगाई और कहा कि, "तुमने 6.30 बजे गिरफ्तार किया और 6.00 बजे कैसे इनके घरवालों को बता दिया"|

Mukesh Rakesh



Lucky @ Jayhind

Scanned by CamScanner

ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता के सामने पेश करते समय जब घरवालों ने पीड़ित नं. 1 और 2 की हालत देखी तो वो लोग बहुत घबरा गये क्योंकि हम चल भी नहीं पा रहे थे, हम पाँव सूजे होने के कारण चप्पल नहीं पहने हुये थे तो पीड़ित नं. 1 के घरवालों ने पुलिसवालों व पीड़ित नं. 1 और 2 से पूछा कि, "आप दोनों का मैडिकल हुआ की नहीं?" तो पीड़ित नं. 1 और 2 ने कहा कि अभी हमारा मैडिकल नहीं हुआ है? जब पीड़ित नं. 1 और 2 ने CIA ऑफिस में उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को की तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता द्वारा अर्जी लिखकर देने को कहा गया जैसे ही पीड़ित नं. 1 और 2 ने अर्जी लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को देना चाहा तो जाँच अधिकारी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता को पता नहीं क्या कहा जिसकी वजह से वे बिना अर्जी लिये तुरंत उठकर चलने लगीं जब अर्जी लेने की बात उनसे कही गई तो उनके द्वारा कहा गया कि, "रीडर को दे दो" मगर रीडर ने अर्जी नहीं ली और अभद्रता करते हुये सबको बाहर निकलवा कर अदालत में शाम 4.14pm बजे ही ताला लगवा दिया जिसकी वजह से पीड़ित नं. 1 ने मम्मी द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हुये पूरे मामले को सोशल मीडिया पर डलवा दिया गया जिससे ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता की गैर-जिम्मेदारी सामने आये|

इसके बाद पीड़ित नं. 1 के परिवारवालों द्वारा इस मामले में हमारी निर्दोषिता साबित करने के लिये डी.जी.पी., पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग आदि को यह कहते हुये शिकायत दी गई की सभी चिन्हित जगहों के सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन तुरंत प्राप्त करें और सील करें मगर पुलिस विभाग द्वारा एक भी सी.सी.टी.वी. फुटेज व मोबाईल लोकेशन को प्राप्त नहीं किया गया बल्कि सबूतों को नष्ट करने का कार्य लगातार किया जा रहा है|

जज के उठते ही जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह व विजय कुमार पीड़ित नं. 1 और 2 को नीचे लेकर आये और वहाँ पीड़ित नं. 1 और 2 से बहुत सारे कोरे कागजों पर और कुछ लिखे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिये कहने लगे तो पीड़ित नं. 1 और 2 ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो इन दोनों को डराते-धमकाते हुये कहा गया कि "अगर हस्ताक्षर नहीं करोगे तो हमारे अधिकारी तुम्हारी फिर रिमांड माँग लेंगे और नई FIR दर्ज कर देंगे" साथ ही यह भी कहा कि, "यह पेपर हमें जेल में जमा करवाने हैं इसलिये तुम लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं"| पीड़ित नं. 1 और 2 को CIA ऑफिस में इंचार्ज जतिन्दर कुमार व उसके साथियों द्वारा जिस प्रकार मारा गया था उसका मैडिकल अदालत से जेल जाते समय करवाया गया, सिविल अस्पताल जाने के रास्ते में जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह पीड़ित नं. 1 और 2 पर दबाव बनाता रहा और कहता रहा कि, "वहाँ कुछ नहीं बोलना" पर पीड़ित नं. 1 ने वहाँ बोलने की कोशिश की पर जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह ने पीड़ित नं. 1 और 2 को चुप करवाते हुये डॉक्टर साहब को बोला की "सब ठीक है, यह दोनों पूरी तरह से फिट हैं" और फिर साधारण रिपोर्ट बनाकर हमें जेल भेज दिया गया| जेल में प्रवेश के समय पीड़ित नं. 1 और 2 ने देखा कि डॉक्टर की जगह कैदी बैठा हुआ था पीड़ित नं. 1 और 2 ने वहाँ अपनी हालत के बारे में उसे बताने की कोशिश की मगर डॉक्टर के वहाँ मौजूद ना होने की वजह से जाँच अधिकारी सुलक्खन सिंह और विजय कुमार ने उस कैदी को अपनी बातों में व्यस्त करके दुसरे निशान बताते हुये उससे खुद ही मैडिकल रिपोर्ट तैयार करवा दी पर जब पीड़ित नं. 1 और 2 को जेल में ले जाया जा रहा था तब भी डरा-धमकाकर कुछ कोरे कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये थे| जब पीड़ित नं. 1 और 2 ने इंकार किया था तब यह धमकी देकर हस्ताक्षर करवाये गये कि "हस्ताक्षर नहीं करोगे तो दुबारा पुलिस रिमांड पर ले लेंगे, मार-कुटाई भी करेंगे और CIA ऑफिस में रातभर नंगा करके करेंट भी लगाया जायेगा"|

Mukesh Thakur



Lucky @ Jagdish

Scanned by CamScanner

जब पीड़ित नं. 1 और 2 जेल के अन्दर आये तो जेल के पुलिसवाले उन्हें यही कह रहे थे कि, "तुम दोनों ने ऐसा क्या किया जो इतना मारा है" पर पीड़ित नं. 1 और 2 को खुद नहीं पता था कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया है|

मुलाहिज़ा वाले दिन 21.08.2017 को भी डॉक्टर साहब को पीड़ित नं. 1 और 2 ने बताया कि, "पुलिस नें हमें CIA ऑफिस में सिर व पैर पर बहुत मारा है" पर डॉक्टर ने कुछ ध्यान नहीं दिया और कहा कि, "डिस्पैंसरी से दवा ले लो, ठीक हो जायेगा" पर डिस्पैंसरी मे हमें पैरासिटामॉल मिली, एक-दो दिन पीड़ित नं. 1 और 2 ने यही दवा खाई फिर कुछ दिन के बाद पीड़ित नं. 1 और 2 को पता चला कि जेल में मैडिकल कार्ड बनता है तो पीड़ित नं. 1 और 2 ने अपना कार्ड बनवाया (पीड़ित नं. 1 का मैडीकल कार्ड का नं. 10099 है और पीड़ित नं. 2 का मैडीकल कार्ड का नं. 10100 है) जिस पर डॉक्टर ने दवाईयाँ लिखी मगर डिस्पैंसरी से पीड़ित नं. 1 और 2 को हमेशा पैरासिटामॉल ही मिली और वही दवाई वे दोनों खाते रहे|

जब पीड़ित नं. 1 और 2 द्वारा 5 सितम्बर 2017 को अपने परिवार को अपने दर्द व हड्डी के टूटे होने की खबर दी गई तब परिवार द्वारा 7 सितम्बर को मैडिकल करवाने के लिये आवेदन दिया गया जो 13 सितम्बर को लग पाया उसके बाद 26 सितम्बर को दोनों का मेडिकल करवाने का अदालत मे आदेश दिया गया मगर 26.09.2017 को जेल प्राधिकरण द्वारा केवल पीड़ित नं. 1 को ही दुबारा चैकअप के लिये बुलाया गया जहाँ पर पीड़ित नं. 1 को सुखविंदर सिंह छिन्ना ने उसे दवाई दिलवाई और फिर वो वहाँ मे चले गये जिसके बाद डॉक्टर साहब ने पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "तुम्हारी पिछली मैडिकल रिपोर्ट में तुम्हें फिट दिखाया गया है तो अब मैं तुम्हें कैसे अनफिट लिख दूँ" इसके बावजूद उन्होंने मुझसे (पीड़ित नं. 1) मेरी परेशानी पूछी तो पीड़ित नं. 1 ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने पूछा कि, "अभी तुम्हारे पैर में कितना दर्द है?" पीड़ित नं. 1 ने कहा कि, "अभी भी दर्द हो रहा है" जिसके बाद उन्होंने पीड़ित नं. 1 के पैर में लगी चोट का निशान देखा और गर्म पट्टी के साथ में दवाईयाँ भी खाने को दीं पर उन्होंने मैडिकल रिपोर्ट क्या बना कर दी वह पीड़ित नं. 1 को पता नहीं मगर ध्यान देनेवाली बात यह है कि पीड़ित नं. 2 जिसका पैर फ्रक्चर है उसका भी मैडिकल का आदेश था जिसके मिलने के 37 दिन के बाद तक भी मेडिकल नहीं करवाया गया|

पीड़ित नं. 1 और 2 को ना तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एकता की अदालत के दस्तावेज़ दिये गये और ना ही सेशन कोर्ट के दस्तावेज़ दिये गये जिसकी वजह से पीड़ित नं. 1 और 2 Illegal Detention से संबंधित मामले में जल्द से जल्द कदम न उठा सके|

इसी प्रकार Paytm से संबंधित धोखाधड़ी के मामले की पीड़ित नं. 2 की तरफ से पहले से ही शिकायत दिये जाने के बावजूद आज 10 माह होने के बाद भी ना तो कोई कार्यवाही हुई और ना ही FIR दर्ज हुई मगर अपराधी द्वारा झूठी शिकायत किये जाने के बावजूद बिना जाँच किये तुरंत एक दिन के अन्दर ही 3-3 FIR दर्ज की गई थी साथ ही अदालत से जेल भेजने की अपेक्षा ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह व उसके दो हवलदार साथियों (मोहिन्दर और दविन्दर) ने पीड़ित नं. 1 और 2 को हथकड़ी पहना कर उनके मौहल्ले में घुमाया था| जब पीड़ित नं. 1 की मम्मी को मदन (गली नं. 2, टिब्बा रोड़ में रहते हैं) ने आकर इस बारे में बताया था तब पीड़ित नं. 1 की मम्मी भागते हुये उस जगह (पीड़ित नं. 2 की दुकान के पास) पहुँची जहाँ पीड़ित नं. 1 और 2 को हथकड़ी पहना कर घुमाया जा रहा था वहाँ उन्होंने देखा कि, पीड़ित नं. 1 और 2 को पुलिसवाले हथकड़ी पहनाये हुये गाड़ी तक ले गये और गाड़ी में बैठाकर जाने लगे तब मेरी मम्मी दौड़ कर गाड़ी की तरफ भागी मगर तब तक गाड़ी चल दी थी और वह उसे रोकने की स्थिती में नहीं थीं|

Mukesh Thakur



Lucky @ Jagbir

Scanned by CamScanner

उस वक्त पीड़ित नं. 1 और 2 की मम्मी ने देखा कि, वहाँ रजिन्दर कौर (लकी की मकान मालकिन) व मौहल्ले के अन्य लोग जैसे मनोज का परिवार (पत्नी, माँ, साला व साली) जो गुन्नी के घर पर किरायेदार है और लकी की दुकान के सामने ही रहते हैं, जैन फैक्टरी के कर्मचारी, पंकज की माँ (जिनका घर जैन फैक्टरी के बगल में है), विमल की माँ (जो प्रेस का काम करती हैं और इनकी करियाने की दुकान है), सुखजीत (जो लकी की मकान मालकिन रजिन्दर कौर का पोता है), मदन मट्ठीवाला (जिन्होंने उस वक्त पीड़ित नं. 1 से पूछा था कि, यह क्या हो रहा है?, यह सभी लोग राम नगर, गली नं. 2 में रहते हैं) साथ ही विवेक और लकी की दुकान के सामने वाले भी कुछ लोग खड़े थे| सबने पीड़ित नं. 1 की मम्मी से यही कहा कि, "यह बहुत गलत हुआ है, पीड़ित नं. 1 और 2 (मुकेश व लकी) को रिश्वतखोर फूड इंस्पैक्टर ने पैसा खिलाकर पुलिसवालों द्वारा फँसाया है"| पीड़ित नं. 1 की मम्मी चंद्रकला ठाकुर व पीड़ित नं. 1 और 2 की तरफ से पीड़ित नं. 1 और 2 को निर्दोष साबित करने के लिये कई सबूत सील करने के लिये कहे गये जिसमें सी.सी.टी.वी. फुटेज व मोबाईल लोकेशन महत्वपूर्ण थी मगर सभी सबूत नष्ट करने का काम संबंधित पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने किया| ए.एस.आई. स्वर्ण सिंह ने पीड़ित नं. 2 की दुकान से कई महत्वपूर्ण कागजात, वीडियो कैमरा व अन्य कीमती सामान बिना पंचनामा बनाये डकैती करके डरा-धमकाकर ले लिया| सारे जरूरी सबूत पुलिसकर्मी व अधिकारी अपने साथियों को बचाने के लिये नष्ट करने पर लगे हुये हैं|

पीड़ित नं. 1 और 2 ऊपर लिखी सारी बातों को सत्यापित करते हैं|

धन्यवाद

Mukesh Thakur

मुकेश ठाकुर
(पीड़ित नं. 1)

Lucky @ Jaybind

जयहिंद गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता
(पीड़ित नं. 2)

गवाह :

| क्र. | नाम | पता | मोबाईल नं. | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1, | Chander Kala Thakur | H.No-14060 St.No-2 Ram Nagar Tibba Road | 98031-61299 | [illegible] |
| 2 | Rajesh [illegible] | #12839 St No-3 [illegible] Nagar Tibba Road | 8567955582 | Rajesh [illegible] |
| 3 | Jagjit Singh | # 130 [illegible] Quarter Near Azad Ng LDH | 7888459994 | [illegible] |
| 4 | ARUN KUMAR | #1412, ST NO-2, Kirpal Nagar, Ludhiana | 769687-8840 | Arun Kr |
| 5 | Sumant Kumar | PLot No 65,66 BEANT colony Jamalpur Ludhiana (PB) | 95929 10590 | Sumant kr. |
| | | | | |



Scanned by CamScanner